न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 956–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–2–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 142/99–2000/निगरानी.

---

1 मतलूब खां पुत्र वशीर खां
निवासी ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

2 जमील खां पुत्री वशीर खां पत्नी इब्राहिम खां
निवासी तेली की बजरिया, शिवपुरी

3 छुट्टो पत्नी लियाकत खां
निवासी कमलागंज, घोसीपुरा मुरार

4 मकसूदन पत्नी जहूर खां
निवासी ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मेहबूब खां पुत्र बशीर खां
निवासी ग्राम आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 19–2–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24–1–1984 को आदेश पारित कर ग्राम आंतरी स्थित भूमि खाता कमांक 354 कुल किता 5 रकबा 29.636 हेक्टयर पर भूमिस्वामी बसीरखां की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान आवेदकगण एवं अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया । राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5–10–1994 को 10 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–1999 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24–1–1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि मुस्लिम विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त विधि मान्य प्रकिया अपनाकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–7–2000 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुकत द्वारा दिनांक 19–2–2001 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–12–1999 स्थिर रखा जाकर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 25–7–2000 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–1984 की जानकारी अनावेदक को वर्ष 1986 में ही हो गई थी, क्योंकि अनावेदक द्वारा नामांतरण निरस्त कराने हेतु अपर जिला जज के न्यायालय में 10–2–1986 को व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । इसके अतिरिक्त बंटवारा प्रकरण कमांक 5/84–85/अ–27 में भी अनावेदक को नामांतरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी उसके द्वारा वर्ष 1994 में 10 वर्ष के विलंब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी और अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमती के आधार पर आदेश पारित किया गया है और सहमती के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत मृतक बसीर खां के सभी वारिसानों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई और अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब के कारण से सहमत होते हुये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है , जिसमे किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हुई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई है । अतः नामांतरण नियमों का पालन नहीं करने के कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24–1–1984 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 5–10–1984 को लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन उपरान्त 4 बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये, यह अवलिखित किया गया है कि धारा 5 अवधि विधान के तहत अपील को अन्दर म्याद मानते हुये उसके समक्ष प्रस्तुत समस्त अभिलेख का अवलोकन किया गया । स्पष्ट है कि उनके द्वारा विलंब क्षमा किये जाने के संबंध में सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है कि

अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी किस दिनांक को किन परिस्थितियों में किस स्त्रोत से हुई है, और विलंब क्यों क्षमा किया जा रहा है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश समय सीमा के बिन्दु पर बोलता हुआ आदेश नहीं होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मान्य किया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । अपर कलेक्टर का यह विधिक दायित्व था कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोधगम्य आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करते । उक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अपर कलेक्टर का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–2001, अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–2000 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–1999 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्व प्रथम अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सकारण आदेश पारित किया जाये और यदि अपील समय सीमा में मान्य की जाती है तब प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर